

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)
बदायूँ।

सरकार बनाम गुफरान

सत्रवाद संख्या-1491/19

धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम

थाना उझानी जनपद बदायूँ।

नाम-..... उम्रसाल...पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी-थाना-..... जिला-..... पेशा-.....

प्र०नं० 1- क्या आप दिनांक 20.08.2018 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा चैकिंग किये जाने पर आप कटी लाइन को बिना विद्युत बिल जमा किये हुए विद्युत चोरी करते हुए पाये गये ?

उत्तर-

प्र०नं० 2- क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं ?

उत्तर-

प्र०नं० 3- क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर-

सुनकर तस्दीक किया।

विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) ने कथन किया है कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाये।

मैंने अभियुक्त व विशेष लोक अभियोजक को सुना । लोक अदालत एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अभियुक्त गुफरान उपरोक्त को विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(b) के अंतर्गत कुल - /-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 14.03.2026

(नुपुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०),
बदायूँ।